न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 40 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 103

पूनरीक्षणकर्ता	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. शिवलाल पुत्र बालूराम 2. उदाराम पुत्र बालूराम 3. गोविन्दालाल पुत्र बालूराम 4. सुगन सिंह पुत्र बालूराम समस्त जाति माली निवासी सीधीबास, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन 5. मानसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत निवासी सेवा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।		तहसीलदार डीडवाना

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 4367 दिनांक 20.01.2017 को निरस्त कर पुनः अपीलार्थी के नाम दर्ज करने बाबत्।

–:निर्णयः–

दिनांकः 08.04.2024

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किवाके शरहद डीडवाना खेत खसरा नम्बर 2308 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 2310 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा तत्कालीन खातेदार अकबर पुत्र अनवर जाति सॉई डीडवाना के खातेदारी में था, मगर खातेदार अकबर का इन्तकाल होने से उसकी सगी भतीजी चांद बीबी पुत्री नसीर खॉ पत्नी महबुब खॉ निवासी डीडवाना हाल निवासी सांभर जिला जयपुर ने न्यायालय तहसीलदार डीडवाना की अदालत में एक प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धरा 135(2) के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय ने निर्णय दिनांक 10.11.2014 को खातेदार अकबर पुत्र अनवर के स्थान पर चांद बीबी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण सं0 [illegible] दिनांक 26.12.2014 को खसरा नम्बर 2308 की सम्पूर्ण खातेदारी एवं खसरा नम्बर 2310 में से 1/2 की भूमि में अकबर के स्थान पर चांद बीबी का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया। नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कु

की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं राजस्व रेकार्ड सम्वत् 2070–73 की छाया प्रति अपील के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि वाके शरहद डीडवाना खेत खसरा नम्बर 2308 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा की सम्पूर्ण खातेदारी चांद बीबी ने सिकन्दर पुत्र जमालूदीन कौम देशवाली साकिन शेखाबासनी व मुंशी खॉ पुत्र हासम खॉ जाति कायमखानी को पंजीकृत विक्रय के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण सं0 4384 दिनांक 25.02.2015 को राजस्व रेकार्ड में खातेदारी प्राप्त हो गई।

यह है कि उक्त खातेदारी के अनुसार वाके शरहद डीडवाना खसरा नम्बर 2308 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा में से 13 बीघा 10 बिस्वा अपीलार्थी सं0 1 ता 4 को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र के बैचाण कर दी, तत्पश्चात् उक्त खसरा के खसरा नम्बर 3863 / 2308 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी अपीलार्थी सं0 1 ता 4 शिवलाल, उदाराम, गोविन्दलाल व सुगनसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 4397 दिनांक 06.04.2015 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी के हक का अंकन स्वीकार हुआ।

यह है कि सिकन्दर अली व मुंशी खॉ द्वारा वाके शरहद डीडवाना खेत खसरा नम्बर 2308 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र अपीलार्थी सं0 05 मानसिंह को विक्रय कर दी। तत्पश्चात नामान्तरकरण सं0 4420 दिनांक 16.06.2015 को उक्त खसरा की भूमि अपीलार्थी सं0 5 मानसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गयी।

यह है कि उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 03.02.2016 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए श्रीमान् तहसीलदार, डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 4367 दिनांक 26.12.2014 निरस्त कर दिया।

यह है कि माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय दिनांक 03.02.2016 के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील प्रस्तुत की, जिसमें राजस्व मण्डल, अजमेर ने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय दिनांक 03.02.2016 को निरस्त कर तहसीलदार, डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 4367 दिनांक 26.12.2014 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया। इस निर्णय के अनुसरण में तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

20.01.2017 के अनुसार चांद बीबी पुत्री नसीर खॉ पत्नी महबुब खॉ के नाम अंकन स्वीकार कर दिया। जबकि चांद बीबी ने जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र के खसरा नम्बर 2308 की सम्पूर्ण भूमि सिकन्दर अली पुत्र जलालूदीन कौम देशवाली निवासी शेखाबासनी व मुंशी खॉ पुत्र हासम खॉ कौम कायमखानी निवासी डीडवाना को सम्पूर्ण प्रतिफल राशी प्राप्त कर दिया। विक्रय–पत्र के अनुसार नामान्तरकरण सं0 4384 दिनांक 25.04.2015 को सिकन्दर खॉ व मुंशी खॉ द्वारा खसरा नम्बर 3863 / 2308 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय–पत्र अपीलार्थी शिवलाल, उदाराम, गोविन्दलाल व सुगन सिंह को जरिये विक्रय–पत्र सुपुर्द कर दी। तत्पश्चात् नामान्तरकरण सं0 4397 दिनांक 16.04.2015 के अनुसार उक्त भूमि अपीलार्थी सं0 1 ता 4 राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। इसी अनुसार खसरा नम्बर 2308 में सिकन्दर अली पुत्र जलालूदीन व मुंशी खॉ पुत्र हासम खॉ द्वारा बैचाण करने पर अपीलार्थी मानसिंह पुत्र मदनसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 4420 दिनांक 16.06.2015 को रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गयी, मगर राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय / आदेश दिनांक 11.01.2017 के अनुसार वादित नामान्तरकरण 4367 पूनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 के आधार पर खसरा नम्बर 2308 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा अकबर खॉ पुत्र अनवर खॉ के स्थान पर चांद बीबी पुत्री नसीर खॉ पत्नी श्री महबूब खॉ निवासी सांभर के हक में खातेदारी का अंकन स्वीकार कर दिया, जबकि वादित खसरा नम्बर 2308 का विक्रय चांद बीबी द्वारा सिकन्दर व मुंशी खॉ को सम्पूर्ण भूमि बैचाण करने के पश्चात् नामान्तरकरण सं0 4384 दिनांक 25.02.2015 स्वीकार हुआ। जिसके अनुसार सिकन्दर व मुंशी खॉ द्वारा वादित खसरा नम्बर में से 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलार्थी सं0 1 ता 4 को बैचाण कर दी। जिसके अनुसार नामान्तरकरण सं0 4397 दिनांक 06.04.2015 के अनुसार खसरा नम्बर 3863 / 2308 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज हो गयी। खसरा नम्बर 2308 का शेष भाग 06 बीघा 03 बिस्वा सिकन्दर अली व मुंशी खॉ द्वारा बैचाण करने पर अपीलार्थी मानसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 4420 दिनांक 16.06.2015 के द्वारा खातेदारी में दर्ज हो गयी। इसलिए चांद बीबी के नाम नामान्तरकरण सं0 4367 के पश्चात नामान्तरकरण 4397 दिनांक 06.04.2015 व नामान्तरकरण सं0 4420 दिनांक 16.06.2015 को बहाल रखा जाना आवश्यक व न्याय संगत है, जिस हेतु यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना–कुचामन

जिला कलेक्टर डीडवाना–कुचामन

:–अपील के आधार–:

1. यह है कि नामान्तरकरण सं0 4367 दिनांक 26.12.2014 के अनुसार चांद बीबी को खसरा नम्बर 2308 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित कर दिया गया। चांद बीबी द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि का बैचाण सिकन्दर अली पुत्र जलालूदीन व मुंशी खॉ पुत्र हासम खॉ को जरिये पंजीकृत बैचाण कर दिया, जिस पर नामान्तरकरण सं0 4384 / 25.02.2015 द्वारा सम्पूर्ण खातेदारी सिकन्दर अली व मुंशी खॉ के नाम दर्ज हो गई। जिससे भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार होने योग्य है।
2. यह है कि सिकन्दर अली व मुंशी खॉ ने जरिये बैचाण खसरा नम्बर 3863 / 2308 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी जरिये नामान्तरकरण सं0 4397 दिनांक 06.04.2015 के अनुसार अपीलार्थी सं0 1 ता 4 के नाम स्वीकृत हो गयी सिकन्दर व मुंशी खॉ द्वारा बैचाण करने पर 06 बीघा 03 बिस्वा की भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 4420 दिनांक 16.06.2015 के अनुसार खसरा नम्बर 2308 के द्वारा अपीलार्थी मानसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गयी। जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।
3. यह है कि उक्त बैचाणनामों के आधार पर अपीलार्थीगण के राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण के दर्ज हो चुके है व अपीलार्थी ने अपने अपने हिस्सों पर काबिज भी चले आ रहे हैं, परन्तु राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय अनुसार अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं कर पुनः खसरा नम्बर 2308 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा में अकबर खॉ पुत्र अनवर खॉ के स्थान पर चांद बीबी पुत्री नसीर खॉ पत्नी महबुब खॉ का नाम दर्ज कर दिया, जबकि चांद बीबी द्वारा उक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि का बैचाण किया जा चुका है, वह उसी के आधार पर केताओं / अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुके, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है, जिससे भी अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार होने योग्य है।
4. यह है कि नामान्तरकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 के अनुसार खसरा नम्बर 2308 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि [illegible] बीबी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया गया, [illegible] होने दी एवं पुनः नामान्तरकरण जानकारी होते ही नामान्तरकरण की नकलें प्राप्त की। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति दिनांक 27.01.2022 को लेने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकरी हुई है, जिससे भी यह अपील अन्दर मयाद पेश है।

अतः अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 से पुर्व तथा नामान्तरकरण सं0 4367 दिनांक 26.12.2014 के पश्चात् जरिये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 4397 दिनांक 06.04.2015 अपीलार्थी सं0 1 ता 4 शिवलाल, उदाराम, गोविन्दलाल, सुगनसिंह के नाम तथा नामान्तरकरण सं0 4420 दिनांक 16.06.2015 के अनुसार अपीलार्थी मानसिंह के नाम किये गये नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकार्ड में एवं नामान्तरकरण रिकार्ड में दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट का मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। वकील अपीलार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में लिखे गये तथ्यों को दोहराया तथा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 से पुर्व तथा नामान्तरकरण सं0 4367 दिनांक 26.12.2014 के पश्चात् जरिये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 4397 दिनांक 06.04.2015 अपीलार्थी सं0 1 ता 4 शिवलाल, उदाराम, गोविन्दलाल, सुगनसिंह के नाम तथा नामान्तरकरण सं0 4420 दिनांक 16.06.2015 के अनुसार अपीलार्थी मानसिंह के नाम किये गये नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकार्ड में एवं नामान्तरकरण रिकार्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड़ का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4367 में दिनांक 20.01.2017 को किये गये निर्णय को चुनोती दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 20.01.2017 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील संख्या 830/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 की अनुपालना में आराजी संख्या 2308 अकबर खां पुत्र अनवर खां के स्थान पर चांद बीबी पुत्री नसीर खां तथा अराजी [illegible] में अकबर पुत्र अनवर 1/2, चांद बीबी पुत्री नसीर खा [illegible] आदेश दिये गये। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक [illegible] का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कु

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया ''उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें अनुसार इस अपील को निर्णित किया जाकर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर का निर्णय दिनांक 03.02.2016 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 को यथावत रखा जाता है।'' नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 में आराजी संख्या 2308 अकबर खां पुत्र अनवर खां के स्थान पर चांद बीबी पुत्री नसीर खां तथा अराजी संख्या 2310 में अकबर पुत्र अनवर 1/2, चांद बीबी पुत्री नसीर खां 1/2 का अंकन किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण माननीय न्यायलय के आदेशों के अनुरूप है।

अपीलांट का यह कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 को स्वीकृत करने के निर्णय के पश्चात् चांद बीबी द्वारा आराजी संख्या 2308 की सम्पूर्ण भूमि सिकन्दर खां एवं मूंशी खां को जरिये पंजीयन विक्रय कर दी तथा सिकन्दर खां व मुंशी खां ने जरिये विक्रय पत्र 3863/2308 रकबा 10.10 बीघा अपीलांट को विक्रय कर दी एवं 6.03 बीघा अपीलांट मानसिंह को विक्रय कर दी।

इस प्रकार subsequent विक्रय हो जाने के कारण चांद बीबी का आराजी संख्या 2308 एवं 2310 पर कोई अधिकार नहीं रहा। अतः चांद बीबी के नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय ने वैद्यानिक त्रुटि की है परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में यह तथ्य कहीं सिद्ध नहीं किया है कि क्या उनके द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय अथवा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय में पक्षकार बनने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

चांद बीबी के नाम पर विरासतन आराजी संख्या 2308 व 2310 हस्तान्तरण करने के आदेश को माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2016 को खारिज/अपास्त कर दिया गया तथा इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को भी दिनांक 09.03.2016 को तहसीलदार डीडवाना द्वारा खारिज कर दिया। अपीलांट के कथन के अनुसार उनके द्वारा प्रश्नगत आराजी इससे पूर्व क्रय कर ली गयी थी। ऐसी स्थीति में चांद बीबी के पक्ष में हस्तान्तरण आदेश अपास्त हो जाने से उनके पश्चात् किया गया subsequent विक्रय भी प्रभावित होता है जिससे अपीलार्थी भी प्रभावित होते है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपने पक्ष के समस्त तथ्य माननीय राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकते थे परन्तु अपीलार्थी द्वारा यह नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 4367 धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरासतन उत्तराधिकार के आधार पर स्वीकृत किया गया था जिसे राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 11.01.2017 में यथावत रखने के आदेश दिये गये।

राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 75 में प्रावधान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण स्वीकृती के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होने पर अपील के प्रावधान है। अपीलांट विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की स्वीकृती की राहत चाहते है जो इस अपील के माध्यम से प्रदान नहीं किये जा सकते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार नामान्तरकरण संख्या 4367 में दिनांक 20.01.2017 को किया गया निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की अनुपालना में किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **08.04.2024** को सुनाया गया।

8/4/24

(बाल मुकुन्द असावा, **IAS**)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested